

यह कि जखरत पड़े तो अपने जखरियात के अनुसार जमोन को बिक्री, बंधक, दान या जिस भी प्रकार से अपना फायदा लेना चाहें ले सकते हैं । इसमें किसी पक्ष को या इनके वारिस्तान को या सगे सम्बन्धों को किसी तरह का कोई आपत्त नहीं है आरे न भीष्य में करेंगे । अगर करते हैं तो वह गैरकानूनी एवं नाजायज तथा हानितल माना जायगा ।

यह कि अब सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से कांजि वी दखलकार रहकर भोग उपभोग करते रहें तथा राँचो नगर निगम एवं शहर अंचल में अपना अपना नाम से लगान रसीद एवं होील्डिंग टैक्स का रसीद काते रहें । इसमें किसी को कोई आपत्त नहीं है और न ही करेंगे ।

यह कि उपरोक्त बटवारा पत्र सभी पक्षकार अच्छे से पढ़कर, पढ़ाकर तून समझ कर पूर्णतः नुष्ट होकर अपना अपना हस्ताक्षर बिना दबाव, बटकाव के बिना नशा पान किए गवाहों के समक्ष कर दिये ताकि तम्य पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

गवाहों का हस्ताक्षर

1. HIRDEY K...  
8-12-010


2. Ratan Kumar Tinkay  
9-12-010

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर  
सुरज टोप्पी  
8-12-010

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

~~सुरज टोप्पी~~  
सुरज टोप्पी 8-12-010  
तृतीय पक्ष का हस्ताक्षर

Beeth...  
8/12/2010  
Jok Toppo



11 DECEMBER 2010